प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2026

सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 151वीं जयंती पर "रन फॉर यूनिटी" का आयोजन, गोण्डा पुलिस द्वारा एकता, अखंडता व राष्ट्रप्रेम का संदेश-

गोण्डा। आज दिनांक 31.10.2026 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 151वीं जयंती के अवसर पर जनपद गोण्डा में "रन फॉर यूनिटी (Run for Unity)" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा गुरूनानक चौक से हरी झंडी दिखाकर किया गया। हरी झंडी दिखाते ही उपस्थित जनपदीय पुलिस के 200 महिला/पुरूष पुलिस कर्मचारीगण व स्कूली छात्र/छात्राओं ने देशभक्ति के भाव से ओत-प्रोत होकर मैराथन दौड़ प्रतिभाग किया। मैराथन दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों (गुरूनानक चौक से शुरू होकर, जिला महिला अस्पताल, ईदगाह, दुखहरण नाथ मंदिर होते हुए गुरूनानक चौक मे समाप्ति) हुई। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर सरदार वल्लभभाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा राष्ट्रीय एकता संकल्प पढ़ा गया, जिसे उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण ने एक स्वर में दोहराया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में महोदय द्वारा बताया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल जी द्वारा स्वतंत्र भारत के एकीकरण में जो अद्वितीय योगदान दिया गया, वह सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। "रन फॉर यूनिटी" जैसे आयोजन से समाज में राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और अनुशासन का संदेश प्रसारित होता है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यलय में क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी तथा उपस्थित पुलिस कर्मियो को राष्ट्रीय एकता संकल्प पढ़ाया गया।

इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्यॉ, क्षेत्राधिकारी एलआईयू, , क्षेत्राधिकारी यातायात, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के अंतिम दिवस पर UPI एवं QR कोड के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी से बचाव हेतु जनपदवासियों को किया गया जागरूक-

आज दिनांक 31.10.2026 (शनिवार) को साइबर जागरूकता माह अक्टूबर का अंतिम दिवस है। इस अवसर पर जनपदीय साइबर सेल, गोण्डा द्वारा आज के जागरूकता विषय के रूप में UPI एवं QR कोड के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी से बचाव को चयनित करते हुए जनपदवासियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। साइबर सेल द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी भी QR कोड को स्कैन न करें, क्योंकि QR कोड स्कैन करने पर सामान्यतः धनराशि प्राप्त नहीं होती बल्कि खाते से भुगतान हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा पैसा भेजने के नाम पर QR कोड स्कैन करने, UPI PIN डालने अथवा OTP बताने के लिए कहा जाए तो ऐसा कदापि न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ UPI PIN, OTP, ATM/डेबिट कार्ड की जानकारी, CVV, बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन भुगतान करने से पूर्व प्राप्तकर्ता का नाम, मोबाइल नम्बर/UPI ID एवं भुगतान की राशि की भली-भांति जांच कर लें। साइबर अपराधियों द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अनजान एप डाउनलोड करने अथवा किसी व्यक्ति को मोबाइल का स्क्रीन शेयर/रिमोट एक्सेस देने से बचें। साइबर ठगी का शिकार होने पर घबराएं नहीं तथा तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं और cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करें, जिससे ठगी की धनराशि को समय रहते रोकने की कार्रवाई की जा सके। जनपदीय साइबर सेल द्वारा आमजन से अपील की गई कि स्वयं जागरूक रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन अपनाएं तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी UPI एवं QR कोड से होने वाली साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 31-10-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09-06-2021 को वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में दुराचार करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना परसपुर द्वारा आरोपी अभियुक्त शकील को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड0 का0 अजय पटेल व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 31-10-2026 को दोषी अभियुक्त शकील को सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), गोण्डा। श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व रू0 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अभियुक्त का विवरण-

01- शकील पुत्र हजरत अली नि0 कटैला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0-128/2021, धारा 363,366376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।